

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

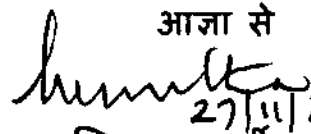
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2246 /2020 दिनांक 27.11.2020

सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-04, जयपुर महानगर-II को दिनांक 09.11.2020 से 10.11.2020 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-03, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-04, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

27/11/20
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/43/2016/5413 दिनांक 27.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1618 दिनांक 12.11.2020 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-04, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-04, जयपुर महानगर-II
5. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-03, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार